TIMES CITY

THE TIMES OF INDIA, KANPUR WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH, AT MUMBAI CP (CAA) No. 210F 2021 CONNECTED WITH CAA No. 06 OF 2021 In the matter of Companies Act, 2013;

And

In the matter of Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013;

And

In the matter of Scheme of Merger by Absorption ('Scheme') of Yash Compostables Ltd. ('the Transferor Company/Applicant Company No. 1') AND Yash Pakka Ltd. ('the Transferee/ Resulting /Applicant Company No. 2') AND their Respective Shareholders and Creditors;

YASH COMPOSTABLES LTD.

("YCL" or "TRANSFEROR COMPANY") a company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at Flat No. 202, 3A/172 Azad Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208002. (CIN: U51100UP2014PLC062981)

...... APPLICANT COMPANY NO. 1

AND Yash Pakka Ltd.

("YPL" or "RESULTING COMPANY") a listed company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at 2nd Floor, 24/57, Birhana Road, Kanpur, Uttar Pradesh - 208001. (CIN:L24231UP1981PLC005294)

APPLICANT COMPANY NO. 2

NOTICE OF THE PETITION

A Company Scheme Petition under Sections 230 to Section 232 of the Companies Act, 2013 for sanctioning Scheme of Merger by Absorption ('Scheme') of Yash Compostables Ltd. ('the Transferor Company/Applicant Company No. 1') AND Yash Pakka Ltd. ('the Transferee/ Resulting /Applicant Company No. 2') AND their Respective Shareholders and Creditors was admitted by the Aliahabad Bench of the National Company Law Tribunal on the November 15, 2021 and by an Order of the said date. The Company Scheme Petition has been fixed for hearing before the Hon'ble Member taking company matters on Monday, the 3rd day of January, 2021 at 10:30 a.m. or soon thereafter.

Any person desirous of supporting or opposing the making of an Order on the said Company Scheme Petition should send to the Hon'ble NCLT and /or to the Petitioner Company's Advocates mentioned herein below, notice of his intention signed by him or his Advocate with his name and address, so as to reach the Hon'ble NCLT and /or Petitioner Company's Advocates not later than 2 (two) days before the date fixed for the hearing of the Company Scheme Petition. Where one seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of the affidavit intended be used in opposition of the Petition shall be served with this notice.

A copy of the said Company Scheme Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Rajani Associates,

Advocates for the Petitioner Companies 204-207 Krishna Chambers 59 New Marine Lines Mumbai 400020

Dated: 15th, December, 2021

Place: Mumbai

कानपुर जानरण कानपुर, 15 दिसंबर, 2021 दैनिक जागरण

मुंबई में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंच के समक्ष

सीपी (सीएए) नंबर 21का 2021, जोकि सीएए नंबर 2021 के 06 से जुड़ा हुआ है कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत

और

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत और

जार यश कंपोस्टेबल्स लिमिटेड ("स्थानान्तरित कंपनी/आवेदक कंपनी सं. 1:") और यश पक्का लिमिटेड ("स्थानांतरिती/परिणामस्वरूप /आवेदक कंपनी सं. 2") और उनके संबंधित शेयरधारक और लेनदारों के विलय की योजना ("योजना") के मामले में।)

यश कंपोस्टेबल्स लिमिटेड

(''वाईसीएल'' या ''स्थानान्तरित कंपनी'') कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है और इसका मंजीकृत कार्यालय फ्लैट नंबर 202, 3ए / 172 आजाद नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश -...... आवेदक कम्पनी सं. 1 208002 में है। (सीआईएन: U51100UP2014PLC062981)

और

यश पक्का लिमिटेड

("YPL" या "परिणाम देने वाली कंपनी") कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक सूचीबद्ध कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, 24 / 57, बिरहाना रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश -208001 में है। (CIN:L24231UP1981PLC005294)

याचिका की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से धारा 232 के तहत यश कंपोस्टेबल्स लिमिटेड (" ट्रांसफर कंपनी / आवेदक कंपनी सं. 1") और यश पक्का लिमिटेड के विलय की योजना ("योजना") को मंजूरी देने के लिए एक कंपनी योजना-याचिका ("हस्तांतरिती / परिणामी / आवेदक कंपनी संख्या 2") और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों को 15 नवंबर, 2021 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इलाहाबाद बेंच द्वारा और उक्त तिथि के एक आदेश द्वारा भर्ती कराया गया था। कंपनी योजना याचिका माननीय सदस्य के समक्ष कंपनी मामलों को लेने वाले सोमवार, 3 जनवरी, 2021 को सुबह 10:30 बजे या उसके तुरंत बाद सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त कंपनी योजना याचिका पर आदेश देने का समर्थन या विरोध करना चाहता है, उसे माननीय एनसीएलटी और / या नीचे उल्लिखित याचिकाकर्ता कंपनी के अधिवक्ताओं को उसके या उसके अधिव्का द्वारा हस्ताक्षरित अपने इरादे की सूचना भेजनी चाहिए। नाम और पता, ताकि माननीय एनसीएलटी औरध्या याचिकाकर्ता कंपनी के अधिवक्ताओं तक कंपनी योजना याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से 2 (दो) दिन पहले तक पहुंच जाए। जहां कोई याचिका का विरोध करना चाहता है, विरोध के आधार या याचिकां के विरोध में इस्तेमाल किए जाने वाले हलफनामे की एक प्रति इस नोटिस के साथ दी जाएगी।

उक्त कंपनी योजना याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा इसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति को इसकी आवश्यकता वाले व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी।

रजानी एसोसिएट्स, याजिकांकर्ती कंपनियों के वसील 204-207 कृष्णा चेम्बर्स 59 नई समुद्री लाइने

मुंबई 400020

दिल्लीक : 15 दिसम्बर, 2021